

इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 हुई अधिसूचति

चर्चा में क्यों?

17 नवंबर, 2022 को हरियाणा उद्योग एवं वाणजिय वभिाग के अतरिकित मुख् य सचवि आनंद मोहन शरण ने बताया किराज् य के उद्योग एवं वाणजिय वभिाग ने इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 को अधिसूचति कर दया है, जसिके तहत 12 योजनाओं को लाइव कया गया है।

प्रमुख बदि

- आनंद मोहन शरण ने बताया किराज् य के उद्योग एवं वाणजिय वभिाग ने इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी का उद्देश् य राज् य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के नरिमाण को बढावा देना है। इस पॉलिसी के बनने से इलेक्ट्रिक-व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और वकिस को बढावा मलैगा।
- इसमें आधारभूत संरचना को मज़बूत करने के अलावा इलेक्ट्रिक-वाहनों की अग्रमि लागत को कम करने के लयि प्रावधान भी कयि गए हैं, जसिसे हाइब्रडि ईवी के खरीदारों को प्रोत्साहन भी मलैगा।
- इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लयि जनि 12 योजनाओं को लाइव कया गया है, उनमें खरीदारों के लयि खरीद प्रोत्साहन, चार्जगि और बैटरी स्वैपगि स्टेशन योजना, शुद्ध एसजीएसटी प्रतपूरति योजना, पूंजीगत सब्सडिडी योजना, रोज़गार सृजन अनुदान योजना, वदियुत शुल्क छूट योजना, स्टाम्प शुल्क प्रतपूरति योजना, पेटेंट शुल्क प्रतपूरति योजना, आर एंड डी प्रोत्साहन, मानव क्षमता नरिमाण उत्कृषटता केंद्र योजना, बीज एवं परविरतन नधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।